

# अवैध वसूली का मामला : भावना के घर से जमीन खरीदी बिक्री के दस्तावेज और कोरे चेक मिले फरार हिस्ट्रीशीटर तोमर की पत्नी गिरफ्तार

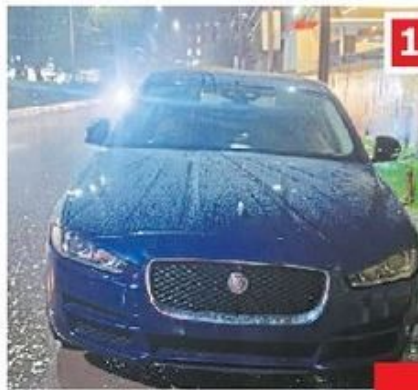


वीरेंद्र-रोहित सिंह तोमर फरार हैं

**शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करती थी संचालन**

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com

रायपुर. अवैध वसूली के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंह तोमर की पत्नी भावना तोमर को पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मंगलवार को भाठागांव स्थित साईं विला से गिरफ्तार कर लिया। भावना पर आरोप है कि वह अपने पति के साथ मिलकर जमीन की खरीदी-बिक्री करती थी। इसके अलावा वह लोगों से जमीन गिरवी रखवाने में भी रोहित की सहयोगी थी। पुलिस ने बताया कि अपराध में भावना की संलिप्तता पाई गई। इस पर उसे गिरफ्तार किया गया।



**1** पुलिस ने उसकी कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए।

फरार आरोपी हिस्ट्रीशीटर तोमर की पत्नी पुलिस की गिरफ्त में।



**2**

## क्या है मामला

पुलिस के अनुसार राजधानी में अवैध वसूली के मामले में रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर व अन्य पर आरोप हैं। आरोपी तोमर और साथियों के साथ उधार के एवज में भरा चेक, कोरे चेक, कोरे स्टॉप में हस्ताक्षर करवा कर

गिरवी सुरक्षा बतौर रखवाए जाते थे। वे उधार के ब्याज की राशि अधिकतम वसूल करने के लिए लगातार जान माल एवं जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसा वसूली किया करते थे। डरा धमकाकर कम दाम पर जमीन की रजिस्ट्री भी

करवाया करते थे। ब्याज की राशि वाले को अवैध तरीके से लेते थे। वहीं कुछ ब्याज राशि अपने कर्मचारी योगेश एवं अपने परिवार की महिलाएं शुभ्रा तोमर, नेहा तोमर, भावना तोमर एवं अन्य के अकाउंट में भी लिया करते थे।

## पुलिस ने बरामद किए दस्तावेज

पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंह तोमर के घर से जमीन खरीदी-बिक्री के दस्तावेज, इकरारनामा स्टॉप, कोरे स्टॉप, हस्ताक्षर युक्त और भरे

हुए चेक बरामद किए हैं। इसके अलावा एक जगुआर कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी महिला को

गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है। इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।